प्रेषक

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या /1089/2–संग्रह–04(डी0सी0)/2018, दिनांक 09 फरवरी, 2018

विषय : उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक के देयों की वसूली के अन्तर्गत लम्बित आर0सी0 की वसूली कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 द्वारा प्रदेश की 323 शाखाओं के माध्यम से ग्रामीण अंचल के कृषकों को कृषि एवं कृषि आधारित प्रयोजनो हेतु दीर्घ–कालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वितरित किये गये ऋण पर बैंक द्वारा नाबार्ड एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से पुर्नवित्त प्राप्त किया जा रहा है, जिसके लिए आवश्यक है कि इन संस्थाओं को निर्धारित समय पर प्राप्त किए जाने वाले वित्त की अदायगी होती रहे। साथ ही ग्रामीण कृषकों को ऋण की उपलब्धता बनाये रखने के लिए भी आवश्यक है कि बैंक द्वारा पूर्व में वितरित की गई ऋण की वसूली संतोषजनक ढंग से की जाय।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित *फसली ऋण मोचन योजना–2017* मात्र फसली ऋणों हेतु लागू की गई है, इसलिए इस योजना से उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि. द्वारा वितरित ऋण आच्छादित नहीं है। बैंक द्वारा विगत समय में वितरित ऋण की वसूली की विभिन्न स्तरो पर समीक्षा में पाया गया कि दिनांक 31–1–18 तक कुल मांग रू0 2397.23 करोड़ के सापेक्ष मात्र रू0 314.46 की वसूली की जा चुकी है, जो कि कुल मांग का 13.12प्रतिशत है। यह स्थिति किसी भी व्यवसायिक संस्था के वित्तीय मानकों के अनुकूल नहीं है, इसलिए बैंक द्वारा दिनांक 30–6–18 तक विशेष वसूली अभियान चलाया जा रहा है।

अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तो को अपने पत्र दिनांक 23–11–17 द्वारा वसूली कार्य में प्रगति लाये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। आयुक्त/निबंधक, सहकारी समितियॉ उ0प्र0, लखनऊ द्वारा भी प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को अपने पत्र दिनांक 6–12–17 द्वारा वसूली कार्य में सहयोग कर प्रगति बढाये जाने का अनुरोध किया गया है।

बैंक द्वारा वितरित ऋण में लगभग 30प्रतिशत धनराशि की वसूली के लिए बैंक द्वारा वसूली प्रमाण पत्र जारी कर तहसील को भेजी गई है और इसकी वसूली भूराजस्व की बकाये की भॉति की जा रही है। इस पत्र के साथ प्रदेश के समस्त जिला/मण्डल में बकाये की स्थिति संलग्न की जा रही है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वसूली की कार्यवाही सन्तोषजनक नहीं है। बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राजस्व प्रशासन के जिला/तहसील स्तर के अधिकारियों को वसूली कार्यो में सहयोग करने के लिए कुछ जिलो में अतिरिक्त वाहन भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे वसूली कार्य में गतिशीलता बढ़ायी जाय। इन वाहनो से संबंधित एक सूची भी इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

उपरोक्त परिस्थितियों में आपको निर्देशित किया जा रहा है कि जिला एवं मण्डल स्तर पर वसूली कार्यो की समीक्षा के समय उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 द्वारा वितरित ऋण की वसूली की प्रगति की समीक्षा भी अवश्य की जाय। प्रगति की समीक्षा के समय बैंक के जिला एवं मण्डल स्तरीय अधिकारियों को अद्यावधिक स्थति से अवगत कराने हेतु अलग से बैंक द्वारा निर्देशित किया जा रहा है।

मैं आशान्वित हूँ कि आपके कुशल निर्देशन में उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा वितरित ऋणों की वसूली में महत्वपूर्ण प्रगति होगी।
संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

9/2/18

(लीना जौहरी)
आयुक्त एवं सचिव

संख्या एवं दिनांक यथाउपरोक्तः

1– प्रतिलिपि आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके उपर्युक्त उल्लिखित पत्र दिनांक 07–2–2018 के संदर्भ में प्रेषित।

2– प्रतिलिपि प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय 10 माल एवेन्यू, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि बैंक के अधिकारियों को अपने स्तर से उपर्युक्त के कम में आवश्यक निर्देश जारी करें।

आज्ञा से,

(मनीलाल)
अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव